राजस्थान सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

कृपया उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 12.06.2019 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें। उपरोक्त आदेश मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसरण में जारी किये गये थे। उपरोक्त आदेश के बिन्दु संख्या 05 अनुसार कृषि विभाग द्वारा आयोजित जैट परीक्षा की काउन्सलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त निजी विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी. आनर्स (कृषि) पाठ्यक्रमों में रिक्त रही सीटों के लिए कृषि विभाग द्वारा तुरन्त ही अतिरिक्त जैट परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिया गया था जिसमें राजस्थान सहित राजस्थान से बाहर के आवेदकों से आवेदन लिये जाने थे।

एसोसियेशन ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग यूनीवर्सिटीज ऑफ राजस्थान के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर विभाग को अवगत कराया गया है कि जैट काउन्सलिंग में बड़ी संख्या में इन विश्वविद्यालयों में सीटें खाली रही हैं। एसोसियेशन द्वारा राज्य सरकार के निर्णय अनुसार अतिरिक्त जैट परीक्षा आयोजित करने के लिए आग्रह किया गया है।

अतः निवेदन है कि राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय अनुसार अतिरिक्त जैट परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित करने का श्रम करावें ताकि इस परीक्षा के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों में इच्छुक विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर नियमित सत्र शुरू किया जा सके।

(वैभव गालरिया)
शासन सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
कृषि विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अशाटीप क्रमांक : एफ 3 (2) शिक्षा–4/2017
जयपुर, दिनांक 07.08.2019

Issued
Sikman
7/8/19